

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

डबल्यू.पी. (सी) संख्या 6912/2013

क्षमावती देवी, श्री मुकुंद मुरारी वर्मा की पत्नी, निवासी गाँव और पीओ-डबरी, पीएस-
बिरनी, जिला-गिरिडीह याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य अपने मुख्य सचिव माध्यम से, परियोजना भवन, डाकघर और थाना-
धुर्वा, जिला-रांची।
2. अनुमंडल दण्डाधिकारी सह पंचायत चुनाव न्यायाधिकरण, गिरिडीह।
3. बसंती देवी, श्री सुनील कुमार साह की पत्नी..... उत्तरदाता गण

कोरम: माननीय न्यायमूर्तिश्री सुजीत नारायण प्रसाद

याचिकाकर्ता के लिए: श्री ए के सहानी, अधिवक्ता
उत्तरदाताओं के लिए: श्री रोहित, ए ए जी I के एसी

15/दिनांक: 7 जनवरी 2021

पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता की सहमति से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से
मामले की सुनवाई की गई है।

शुरुआत में याचिकाकर्ता के विद्वत अधिवक्ता श्री एके सहानी ने प्रस्तुत किया है
कि रिट याचिका को निष्प्रायमाना जा सकता है क्योंकि इस मामले में शामिल मुद्दा
2010-15 की अवधि के लिए 'मुखिया' के चुनाव से संबंधित है। उन्होंने आगे कहा कि
बाद के चुनाव में रिट याचिकाकर्ता का चुनाव किया गया है।

इस तरह की निवेदन उत्तरदाताओं के लिए विद्वान ए ए जी I के एसी श्री रोहित,
की उपस्थिति में की गई है।

याचिकाकर्ता के लिए विद्वत अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत किए निवेदन के
मद्देनजर, रिट याचिका को निष्प्राय माना जाता है, तदनुसार निपटाया जाता है।

नतीजतन, IA No. 8426/ 2013 को भी निपटारा किया गया।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया0)

साकेत/-